

भारत सरकार  
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय  
औषध विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 247  
दिनांक 04 फरवरी, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमबीजेपी का कार्यान्वयन

247. श्री श्रीनिवास दादासाहिब पाटील:  
कुमारी राम्या हरिदास:  
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:  
डॉ. अमोल रामसंह कोल्हे:  
श्री कुलदीप राय शर्मा:  
श्री डी. एन. वी. सेंथलकुमार एस.  
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:  
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क :

- (क) सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषध परियोजना (पीएमबीजेपी) की मुख्य विशेषता क्या है;
- (ख) पीएमबीजेपी के कार्यान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी कौन-सी है तथा पीएमबीजेपी का वित्तपोषण तंत्र क्या है;
- (ग) पीएमबीजेपी के अंतर्गत कतनी दवाएं तथा सर्जिकल और उपभोज्य वस्तुएं शामिल हैं;
- (घ) क्या सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए कमी संचालन समिति की नियुक्ति की है तथा इस संबंध में कतना लक्ष्य प्राप्त किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे हैं;
- (ङ) सरकार द्वारा पीएमबीजेपी के अंतर्गत सभी चकत्सा संबंधी समूहों को शामिल करते हुए सभी जेनेरिक दवाओं को उपलब्ध कराने से लेकर सम्पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों और सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं;
- (च) क्या यह सच है कि पीएमबीजेपी भेषज कंपनियों को आकर्षित करने में विफल रही है तथा एक ही मत सफलता प्राप्त कर पाई है; और
- (छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा देश में पीएमबीजेपी के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी.वी. सदानंद गौडा)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषध परियोजना के तहत, देश भर में जनऔषध केंद्र नामक विशेष आउटलेट बनाए जा रहे हैं, ताकि आम लोगों के लिए वहनीय कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा

सकें। यह योजना सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ निजी उद्यमियों द्वारा भी संचालित की जाती है। इस योजना के तहत, सरकार निम्नलिखित तरीकों से परिचालन एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है:

- सरकारी अस्पताल परिसर में जनऔषध केंद्र की स्थापना करने वाले किसी भी व्यक्ति को 2.50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जहाँ सरकार द्वारा परिचालन एजेंसी को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया जाता है: -
  - फर्नीचर और फक्स्चर की प्रतिपूर्ति के लिए 1 लाख रुपये
  - शुरुआत में मुफ्त दवाओं के लिए 1 लाख रुपये
  - कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर, आदि के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 0.50 लाख रुपये।
- निजी परिसरों में किसी भी वैयक्तिक उद्यमियों द्वारा खोले गए जनऔषध केंद्र की मासिक खरीद के 15% के प्रोत्साहन के साथ 10,000/- रुपये प्रति माह की सीमा को 2.5 लाख रुपये की कुल सीमा तक बढ़ाया जाता है। वैयक्तिक एससी/एसटी और निःशक्तजन उद्यमियों को अग्रिम में 50,000/- रुपये की दवाइयां प्रदान की जाती हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए, प्रोत्साहन की दर 15% होगी जिसकी प्रतिमाह अधिकतम सीमा 15,000/- रुपये से 2.5 लाख रुपये तक होगी।
- जनऔषध दवाओं का मूल्य खुले बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं के मूल्य की तुलना में 50%-90% कम होता है।
- उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन-अच्छा वनिर्माण पद्धतियां (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही दवाएं खरीदी जाती हैं।
- सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 'राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल)' द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में दवा के प्रत्येक बैच का परीक्षण किया जाता है।

(ख): पीएमबीजेपी को भारतीय औषध पीएसयू ब्यूरो (बीपीपीआई) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जो एक पंजीकृत सोसायटी है तथा औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। बीपीपीआई औषध विभाग, भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने के साथ-साथ ही दवाओं की बिक्री से राजस्व भी अर्जित करता है।

(ग): पीएमबीजेपी की उत्पाद बास्केट में 854 दवाएं और 154 सर्जिकल और उपभोग्य सामग्री शामिल हैं, जो सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों जैसे कि संक्रामक रोधी, एलर्जी रोधी, मधुमेह रोधी, कार्डियोवस्कुलर, कैंसर रोधी, गैस्ट्रो-आंतों की दवाओं आदि को कवर करती हैं।

(घ): औषध विभाग नियमित रूप से योजना का अनुवीक्षण और समीक्षा करता है।

(ङ): वर्तमान में, पीएमबीजेपी की दवा बास्केट में 854 दवाएं और 154 सर्जिकल और उपभोग्य वस्तुएं उपलब्ध हैं। प्रयास यह है कि विभिन्न बाजार रुझानों का विश्लेषण किया जाए और तदनुसार उत्पादों की बढ़ी हुई रेंज उपलब्ध कराई जाए। यह विभिन्न हितधारकों और बाजार की मांगों की प्रतिक्रिया पर आधारित एक सतत प्रक्रिया है। मार्च, 2020 तक इस बास्केट को 1200 दवाइयों और 200 सर्जिकल तक विस्तारित करने की योजना है।

(च) और (छ): जी, नहीं महोदय। बीपीपीआई के पास अपने नियमित विक्रेताओं के रूप में 150 से अधिक डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणित औषध कंपनियां हैं। दवाइयों और सर्जिकल खरीद के लिए इनमें प्रतिष्ठित कंपनियां जैसे सप्ला, एबॉट, वॉकहार्ट, जी लैबोरेट्रीज़, माइक्रो लैब, बायोकोन आदि शामिल हैं। बीपीपीआई नियमित रूप से प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ बैठकें आयोजित करता है और उन्हें अपनी निवदाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है।